


फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26 विविध पत्रावली 2024/056
 न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
 साहिल बनाम करणी सिंह व अन्य
 प्रकरण संख्या 2024/072

online #

अन्तर्गत धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

| आदेश दिनांक | आदेश अथवा कार्यवाही विवरण | आदेश क्रमांक एवं दिनांक |
|-------------|--|---|
| 21.11.2024 | वादी अधिवक्ता श्री सतविन्द्र सिंह चहल द्वारा उपस्थित आकर वादपत्र प्रस्तुत, वाचक द्वारा अपेक्षित प्रतिवेदन प्रस्तुत, दर्ज पंजिका हो, प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी हो. पत्रावली दिनांक 23 दिसम्बर, 2024 को पेश हो. | |
| 23/12/24 | आज पीठामान अधिकारी... पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20-1-25 को पेश हो. | |
| 30/01/25 | आज पीठामान अधिकारी... पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 03/02/25 को पेश हो. | |
| 13/02/25 | वादीगण स्वयं उपरोक्त वादीगण द्वारा प्रापित फास्ट ट्रेक पर पत्रावली पेशी में ली गयी वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रापित फास्ट ट्रेक पर प्रापित एवं अपेक्षित के अन्तर्गत सम्मन की मानना से प्रेरित राजीनामा हो गया हो अतः वाद में मौजूदा सूत्र में दाखिल फास्ट ट्रेक करने का निर्देश किया गया। पत्रावली प्रति 11/02/25 में तलबी हेतु विचारणीय की मुक्ति वादीगण फास्ट ट्रेक द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करते हैं अतः एकाग्रता प्रकृत वर्तमान सूत्र पर खारिज किया जाता है। पत्रावली के अन्तर्गत कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। पत्रावली द्वारा पेशी के सूत्र में कोई भी फास्ट ट्रेक प्रकृत सूत्र में शामिल हो. |  |